रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1582] नई दिल्ली, सोमवार, जून 5, 2017/ज्येष्ठ 15, 1939
No. 1582] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 5, 2017/JYAISTHA 15, 1939

गृह मंत्रालय

(आन्तरिक सुरक्षा-I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2017

का. आ.1788(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या का. आ. 4219 (अ) के द्वारा प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, जगदलपुर को उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था, जिसका अधिकार-क्षेत्र अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए सिविल जिला उत्तर बस्तर कांकेर, जगदलपुर स्थित बस्तर, दक्षिण बस्तर (दांत्तेवाड़ा) तथा छत्तीसगढ़ का कोंड़ागांव है;

और जबकि, श्रीमती प्रिसिला पॉल होरो, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर जिन्हें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 की अधिसूचना सं. का. आ. 4246 (अ) के द्वारा उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, का स्थानांतरण हो चुका है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 29 दिसम्बर, 2016 की अधिसूचना सं. का. आ. 4246 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने के लिए छोड़ दिया गया था, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर श्री देवेन्द्र नाथ भगत, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आईएस-IV]

सुधीर कुमार सक्सेना,संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(INTERNAL SECURITY-I DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2017

S.O. 1788(E).—Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, vide notification number S.O. 4219 (E) dated the 29th December, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), notified the Court of 1st Additional Sessions Judge at Jagdalpur as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction over Civil District Uttar Bastar Kanker, Bastar at Jagdalpur, Dakshin Bastar (Dantewada) and Kondagaon of Chhattisgarh for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Smt. Prisilla Paul Horo, 1st Additional Sessions Judge, Jagdalpur, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court vide notification number S.O. 4246 (E) dated the 29th December, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 11 of the said Act and in supersession of the notification number S.O. 4246 (E) dated the 29th December, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh, hereby appoints Shri Devendra Nath Bhagat, 1st Additional Sessions Judge, Jagdalpur, as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-IV]

SUDHIR KUMAR SAXENA, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.06.06 19:17:50 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.